राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
CentralState Farm, Suratgarh
District- Sriganganagar
PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

क्रमांक :– सूरत/सुरक्षा/04/2015–2016– दिनाँक – 26.2.2016

निविदा–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0) में खण्ड–1 यूनिटA,यूनिटB व 2, 3 की चल व अचल सम्पत्ति व फसलों की सुरक्षा का ठेका देने की अवधि दिनाँक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की निविदा हेतु ।

क्र0 सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1.	खण्ड–1 यूनिट(A)	35एसटीजी, 38एसटीजी, 37एसटीजी, बीआरपी–1,बीआपी–3	रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र)
2.	खण्ड–1 यूनिट(B)	39एसटीजी, 41एसटीजी, 40एसटीजी, 42एसटीजी, 44एसटीजी	
4.	खण्ड 2	RPM-1, RPM-2, RPM-3,RPM-4, 33PBN ,31A PBN,31B PBN	
4.	खण्ड 3	34 PBN,3 SGM,4 SGM,5 SGM, EPO(बाग)	

उपरोक्त सुरक्षा ठेके की अवधि दिनाँक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिये निविदायें दिनाँक 21.03.2016 को दोपहर 1:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है जो कि उसी दिन दोपहर 3:00 बजे फार्म की गठित समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) 01.03.2016 से 20.03.2016 तक रू0 500.00 देकर फार्म कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय बीज निगम लि0 की वेब साईट **www.Indiaseeds.Com.** से भी डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रू0 500.00 व प्रत्येक ठेके के लिये वर्णित निश्चित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट **National seeds Corporation Ltd, Suratgarh, payable at Suratgarh** निविदा के साथ जमा करवाने होंगें। तकनीकी व वित्तीय निविदा मे कृषि फार्म के सुरक्षा के ठेके का 2 वर्ष का अनुभव, ईनकम टैक्स वैलेड, पेन कार्ड न0, पार्टी का पंजीकरण (सविर्स टैक्स),EPF,ESI पंजीकरण, लेबर लाईसेन्स, प्राईवेट सिक्यूरेटी लाईसेन्स, 2पासपोर्ट फोटो, 10 रू0 के स्टाम्प पर नोटरी से हल्फनामा देना होगा। सफल निविदादाता को रू0 2,00,000.00 (रू0 दो लाख मात्र) प्रति खण्ड धरोहर राशि व क्षतिपूर्ति राशि मिलाकर जमा करवाने होंगें। असफल निविदादाता की धरोहर राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जायेगी। संविदा फार्म पर खण्डवार की जायेगी। क्योंकि एक सुरक्षा ठेकेदार को एक ही खण्ड का सुरक्षा ठेका दिया जायेगा।

नोटः– यदि किसी कारणवस दिनाँक 21.03.2016 को ठेका असफल हुआ तो पुनः ठेका 23.03.2016, 28.03.2016 को उपरोक्त नियमानुसार होगा।

निविदा राशि प्रस्ताव (टेण्डर ऑफर)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में सन्दर्भित सुरक्षा ठेके हेतु 1 वर्ष की अवधि निविदा दिनाँक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्र0 सं0	खण्ड	सुरक्षा हेतु चकों का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र)
1.	खण्ड –1 यूनिट A	35एसटीजी, 38एसटीजी, 37एसटीजी, बीआरपी–1, बीआरपी–3	
2.	खण्ड–1 यूनिट B	39एसटीजी, 41एसटीजी, 40एसटीजी 42एसटीजी, 44एसटीजी	
3.	खण्ड–2	RPM-1, RPM-2, RPM-3, RPM-4, 31A PBN, 31B PBN,33PBN	
4.	खण्ड–3	34PBN,3 SGM, 4 SGM, 5 SGM,EPO (बाग)	

धरोहर राशि का विवरणः–

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरणः–

बैंक ड्राफ्ट न0 एवं दिनाँक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
		रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र)

(उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किये जायें)

मैं/ हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे / हमें सभी शर्तें मान्य हैं। शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

....

....

....

....

मो0 न0 ....

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
CentralState Farm, Suratgarh
District- Sriganganagar
PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

निविदा प्रपत्र

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सूरतगढ़/04/सुरक्षा/2016– दिनाँक .... निविदा भेजने हेतु पता:–

सहायक महाप्रबन्धक (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

निविदा खोलने की दिनाँक :– 21.01.2016 स्थान :– केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विषय :– केन्द्रीय राज्य केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

फार्म , सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज0) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सुरक्षा हेतु 1वर्ष की अवधि निविदा दिनाँक 01 मार्च 2016 से 28 फरवरी 2017 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :– ....
2. पिता /पति का नाम :– ....
3. पूरा पता :– ....
   ....
   ....
4. दूरभाष / मो0 न0:– ....
5. पैन न0 :– .... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र न0 (वोटर आई डी, आधार कार्ड आदि) ....(प्रतिलिपि संलग्न करें)

7. निविदा शुल्क (रू0 500/– रसीद संख्या .... दिनाँक .... अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .... दिनाँक ....

क्रमांक :– सूरत/सुरक्षा/04/2015–2016– **दिनाँक – 26.02.2015**

बिषय :– सीमा सन्देश में सुरक्षा ठेके के सम्बन्ध में विज्ञापन देने हेतु।

महोदय जी,

निवेदन है कि सुरक्षा ठेके हेतु दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 के लिये सुरक्षा ठेके के लिये निविदाऐं आमन्त्रित करनी है ताकि सुरक्षा ठेका का निस्तारण हो सके।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि दिनांक 27–2–2016 के सीमा सन्देश में निविदा सूचना प्रकाशित करवाने तथा साथ ही राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की वेबसाईड पर डलवाने का श्रम करे। निविदा सूचना का प्रारूप इस पत्र के साथ दो कापी संलग्न है। जिसकी स्वीकृति श्रीमान निदेशक से ले ली गई है।

सुरक्षा अधिकारी

श्रीमान सहायक प्रबन्धक(मा0 सं0)

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनाँक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (वित्तीय निविदा प्रपत्र)

प्रस्तावित राशि रूपयों में

खण्ड	01.03.2016 से 28.02.2017 (एक वर्ष हेतु)
खण्ड–1यूनिट A	
खण्ड–1 यूनिट B	
खण्ड–2	
खण्ड–3	

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम...

पता...

मो0 न0 ....

...

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
CentralState Farm, Suratgarh
District- Sriganganagar
PHONES : 01509- 220084,221420(Office) Tele-Fax: - 01509- 223877
e-mail - csfsuratgarh@rediffmail.com

सुरक्षा अधिकारी

।। सुरक्षा ठेके बाबत नियम व शर्ते ।।

1. फार्म सम्पदा की सुरक्षा हेतु सुरक्षा अनुबन्ध एक वर्ष के लिये मान्य होगा जिसे आगामी छः माह के लिये प्रबन्धक के विवेकाधिकार से बढाया जा सकेगा। जिसकी नियम व शर्ते पूर्ववर्ती करार के अनुरूप होगी।

2. संविदा फार्म पर खण्डवार की जावेगी। एक सुरक्षा ठेकेदार को एक ही खण्ड का सुरक्षा ठेका दिया जायेगा।

3. निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि रूपये 50000/–होगी,जो की नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड सूरतगढ के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा होगी ।

4. सफल निविदादाता द्वारा रूपये 2,00,000/–रू0 (दो लाख मात्र) प्रतिखण्ड प्रतिभूति राशि (सिक्योरीटि डिपोजिट) जमा करवानी होगी। जो कि सावधि जमा/बैंक गारन्टी के रूप में हो सकती है।उक्त प्रतिभूति राशि ठेका सन्तोषजनक कार्य पूर्ण होने पर सुरक्षा ठेकेदार को बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

5. निविदादाता/फर्म को कम से कम दो वर्ष का सुरक्षा कार्य का ठेका सन्तोषजनक पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिये। जो कृषि फार्मो का जो किसी सरकारी कृषि फार्म/स्वायतशाषी कृषि फार्म/लोक उपक्रम

(कृषि फार्म) का हो अथवा 1000 एकड के निजि कृषि फार्म का पॉच वर्ष का सुरक्षा ठेका सन्तोषजनक पूर्ण करने का अनुभव। निविदादाता को सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें उनके द्वारा काम किया गया है। मात्र ठेका प्रति आदेश मान्य नहीं होगा।

6. यदि ठेकेदार अनुबन्ध की किसी नियम व शर्तो का उल्लंधन करता पाया जायेगा अथवा फार्म को समूचित सुरक्षा प्रदान करने में अक्षम अथवा फार्म की फसलों, मशीनों व सम्पदा आदि की सुरक्षा करने में अक्षम पाया जाता है तो सुरक्षा अनुबन्ध को खत्म किया जा सकता है। तथा ठेकेदार/फर्म को सक्षम अधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दिया जायेगा एवं जमा प्रतिभूति राशि को भी जब्त कर लिया जायेगा।

7. ठेकेदार/फर्म का चाहिये कि वह कृषि फार्मो के सुरक्षा मानकों तथा सम्पत्ति (प्रोपर्टी)/सम्पदा की सुरक्षा बाबत् नियम व उपनियम को भली–भॉति जानता हो।

8. फार्म सम्पत्ति के नुकसान/चोरी आदि होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में पुलिस रिपोर्ट/एफ.आई.आर. अपने स्तर पर दर्ज करवानी होगी तथा उसकी छायाप्रति फार्म के सुरक्षा अधिकारी को भी प्रस्तुत करनी होगी।

9. यदि फार्म में कोई नुकसान होता है तो फार्म निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित की जावेगी जो नुकसान का आंकलन करेगी। ठेकेदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ती आंकलन में शामिल होगा। यदि समय पर नहीं आता है। तो कमटी का निणर्य मानना होगा।

10. फार्म की किसी भी प्रकार की फसल, मशीन, सम्पदा आदि के नुकसान/चोरी की भरपाई का पूर्ण उतरदायित्व ठेकेदार का होगा। यदि ठेकेदार 15 दिवस के भीतर हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक भुगतान में से की जायेगी। इस बाबत फार्म निदेशक का निर्णय ठेकेदार पर बाधित होगा।

11. ठेकेदार निगम के विरूद्व किसी भ्रष्टारचार में प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष/अपरोक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यदि ठेकेदार निगम विरूद्व किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके साथ हुए सुरक्षा अनुबन्ध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा बचा हुआ कार्य उसके हर्जे खर्चे पर सम्पादित करवाया जायेगा।

12. ठेकेदार के पास EPF,ESI रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड और लेबर लाईसेन्स, प्राईवेट सिक्यूरीटी लाईसैन्स होना जरूरी है। यदि सुरक्षा ठेके की राशि प्रति वर्ष दस लाख या दस लाख से अधिक है तो सेवा कर (सर्विस टेक्स) का पंजीयन संख्या होना अनिवार्य है तथा वैधानिक नियमों की पालना की जिम्मेंदारी

सुरक्षा ठेकेदार की होगी। यदि सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या नहीं है तो फार्म बिल में से सर्विस टैक्स काट कर विभाग में जमा कर Certificate जारी करेगा।

13. ठेकेदार फार्म में सुरक्षा बाब्त साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

14. कार्य ओदश जारी होने के पश्चात सुरक्षा ठेकेदार स्वयं भी फार्म के सम्बन्धित खण्ड/यूनिट में उपस्थित रहेगा। सुरक्षा ठेकेदार किसी भी दशा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा एवं सब–लेट नहीं करेगा। ठेकेदार प्रत्येक दिन फार्म के सुरक्षा अधिकारी से मिलकर फार्म की तथा अन्य सपंत्ति की सुरक्षा हेतु उसके द्वारा की गयी सुरक्षा व्यवस्था से अवगत करायेंगा, दिये गये निर्देशों की सख्ती से पालन करेगा। यदि इनकी अवहेलना होती है तो उसका ठेका निरस्त कर धरोहर राशि फार्म प्रबन्धन द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

15. सुरक्षा ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि पशुओं द्वारा अवैध/जबरदस्ती चराई और चोरी इत्यादि तथा अन्य किसी भी प्रकार से फसलों तथा फार्म की समस्त चल/अचल

संपतियों जैसे खडी फसलें, पेड़–पौधे, लकड़ी, टयूबवैल इंजन, मोटर ,तार, खेतो में बने मकान हैण्डपम्प आदि जो जहॉ है जैसे है के अनुसार दिन व रात्री लगातार आंतरिक एवं बाहरी व्यक्तियों तथा पालतू
व जंगली जनवारों सेसुरक्षा करेगा। नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई ठेकोदार से की जायेगी।

16. सुरक्षा ठेकेदार तीनों खण्डों में बने हुऐ फाटक में आवारा पशु नहीं लायेगें तथा आवारा पशुओं को सुरतगढ की गौशाला में भेजेगें । इस प्रक्रिया के दोरान किसी भी पशु नीलगाय,भेड़–बकरी इत्यादि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुचनीं चाहिये। आवारा पशुओं के फार्म में प्रवेश प्रतिबंधित करने बाबत जो भी संवेदनशील प्वाइंट जिनकी जानकारी सुरक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर दी जावेगी, पर चौकीदारों को नियुक्त करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चौकीदार नियुक्त न करने की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार के मासिक बिल में से उचित कटौती की जायेगी ।

17. अगर सुरक्षा ठेकेदार अपनी यूनिट में सुरक्षा कर्मी नहीं लगाता है और नुकसान लगातार बढता जा रहा है तो ऐसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर सुरक्षा करवायेगा। जिसका भुगतान सुरक्षा ठेकेदार के बिल तथा प्रतिभूति राशि (डिपोजिट–मनी) से किया जावेगा।

18. सुरक्षा कार्य के लिये फार्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वाहन व अन्य साधन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। ठेकेदार को इन सभी साधनों की व्यावस्था अपने खर्च पर स्वंय करनी होगी।

19. सुरक्षा ठेकेदार को ठेके की राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जवेगा। किसी भी प्रकार का टेक्स जो नियमानुसार देय होगा, ठेकेदार के बिल मे से काट लिया जायेगा। भुगतान सुरक्षा अधिकारी व हैडगार्ड के सन्तोषजनक प्रमाणन के बाद लेखा विभाग द्वारा किया जाऐगा।

20. सुरक्षा ठेकेदार को श्रम कानूनों का पालन करना होगा, स्ंवय उसकी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षाकर्मी/श्रमकि की दुर्धटना होने की स्थिति में फार्म प्रबन्धन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे उनकी अनुपालना की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

21. फार्म में सुरक्षा ठेकेदार को नाली फल्ड के दौरान कोई किसान या पड़ोस में रहने वाले जमींदार आदि इक्कठे होकर फार्म क्षैत्र से कोई बन्धा तोडकर पानी अवैधरूप से अपने खेतों में ले जाता है या पम्प द्वारा लिफ्ट करके मुरब्बों में खडे पानी को उठाकर अपने खेतों में ले जाता है तो उसे रोकने की भी पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

22. ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने से पुर्व रू0 100/– (सौ रूपये मा्त्र) के नान– ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तो का शामिल करते हुऐ केन्द्रीय राज्य फार्म सुरतगढ से लिखित अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध हेतु नान–ज्यूडिशीयल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को स्ंवय अपने स्तर पर करनी होगी। स्टाम्प पेपर का शुल्क भी ठेकेदार को वहन करना होगा।

23. सुरक्षा ठेके की अवधि के दौरान किसी भी खण्ड में अगर कोई चक आउट–सोसिंग के लिये दिया जाता है, तो उस चक की सुरक्षा आउट–सोसिंग वाले ही करेंगें और उस चक की सुरक्षा खर्च के रूपये प्रति चक प्रतिमाह औसत के आधार पर सुरक्षा ठेकेदार को नहीं दिये जायेगें।

24.. निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए, स्वीकृत एवं अस्वीकृत(निरस्त)करने का पूर्ण अधिकार होगा। निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये सुरक्षा ठेके को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. ठेकेदार जो भी श्रमिक रखेगा उसको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अपने सुरक्षा कर्मीयों को समस्त हित–लाभ प्रदान करेंगें राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी देनी होगी जिसका रिकार्ड रखना होगा नाबालिक सुरक्षा कर्मी नहीं लगाऐगा।

26. यह कि सुरक्षा कार्य में दक्ष सुरक्षा रक्षकों को कार्य पर लगायेगा तथा पूर्ण सुरक्षा सामग्री जैसे सीटी लाटी रात्री के लिय टार्च आदि की व्यवस्था ठेकेदार अनिवार्य रूप से करेगा। ठेकेदार द्वारा लगाए गए अपने कर्मियों को पहचान पत्र देगा जोकि कर्मियों के ड्यूटी के दौरान दृष्टीय रूप से लगाना होगा।

27 यह कि ठेकेदार या उसका प्रतिनिधी व श्रमिक फार्म की किसी सम्पत्ति को न तो नुकसान पहुॅचायेगे और नही उसका उपयोग करेंगें। किसी प्रकार से नुकसान व अनियमितता में लिप्त पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी के प्रति कडी दण्डात्मक कार्यवही करते हुए उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा और हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी ।

28. यह कि सुरक्षा ठेकेदार उसका प्रतिनिधी एवं उसके सुरक्षा कर्मी पर्यावण–जल–जीव जन्तुओं जंगली जानवरों व मोर तीतर आदि पक्षियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगें। उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूॅचायेंगे।

29. यह कि ठेकेदार अपराधिक, शराबी, संदिग्ध एवं फार्म की काली सूची में आये व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगायेगा तथा कार्य स्थल पर बीडी–सिगरेट या अन्य नशीली चीजों का प्रयोग करना पूर्ण वर्जित होगा।

30. यह कि ठेकेदार एवं उसके सुरक्षा कर्मी फार्म के किसी कर्मचारी अधिकारी से अभद्रता एवं अशिष्टता का व्यवहार नहीं करेगें झगडा आदि करने पर ठेका निरस्त कर धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

31. यह कि उसका प्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मी किसी प्रकार के फार्म उत्पादो जैसे पेड–पौधे, लकड़ी,दवा, रसायनिक खाद–सामग्री, डीजल, फार्म मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न ही खुद ले जायेगा और सख्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध करायेगा।

32 यह कि ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू करने के बाद वह किसी भी प्रकार की लापरवाही करता है या खण्ड प्रभारी, सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार सुरक्षा कार्य नहीं करता है मौखिक व लिखित नोटिस देने के बाद भी सुरक्षा कार्य को सही ढंग से नहीं करता है तो फार्म प्रशासन के पास यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त करते हुए ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल कर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर लें।

33. यह कि ठेकेदार आवंटित फार्म क्षैत्र में संदिग्ध आपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित परिक्षैत्र में किसी प्रकार की अवांछनिय घटना घटित होती है तो सुरक्षा ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा।

34. यह कि ठेकेदार यदि बीच में सुरक्षा का कार्य छोडता है तो उसका कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

35 यह कि षडयंत्र ट्रेड यूनियन की हडताल भीड/बलबा द्वारा फार्म उत्पाद की क्षति व शस्त्र डकैती की स्थिति में सुरक्षा ठेकेदार की पूर्णरूप से जिम्मेंदारी होगी।

36. ऐसा कोई भी व्यक्ति सुरक्षा ठेके में भाग नहीं ले सकेगा जो पूर्व में कभी भी निगम के किसी भी फार्म में फार्म विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहा हो अथवा ब्लैक–लिस्टेड हो।

37. चूंकि फार्म की फसलों एवं सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु ठेकेदार का सवंय फार्म में उपस्थित रहना नितान्त आवश्यक है अतः सुरक्षा ठेकेदार अपने यूनिट में खुद उपस्थित रह कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा व समय–2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए निदेर्शो का अनुपालन करेगा।

38. सुरक्षा ठेकेदार को फार्म की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु विभिन्न चकों जिनकी जानकारी समय–2 पर फार्म के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मी तैनात करनें होगें। सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहॉ भी उसके चौकीदार की डूयूटी लगाई जाती है वह दूसरा चौकीदार आने पर ही अपने चक से जायेगा। ठेकेदार के किसी भी चौकीदार या सुपरवाईजर इत्यादि अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेगा एवं सुनिश्चित करेगा कि फार्म में किसी भी प्रकार की अप्रिय धटना फार्म विरोधी या गैर कानूनी कृत्य में सम्मिलित नहीं होगें तथा फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के किसी भी तरह का अभ्रद व्यवहार नहीं करेगा अन्यथा उसके विरूद नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगीं।

39. अन्य बातों के अलावा सुरक्षा का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल–चलन सही पाया जायेगा व जो विश्वासनीय होगा । सुरक्षा ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार व सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। सुरक्षा ठेकेदार स्वंय व उसके द्वारा लगाए चौकीदार अथवा सुपरवाईजर फार्म के किसी कर्मचारी के किसी भी प्रकार का झगडा नहीं करेगें कोई विवाद होने की स्थिति में वे उसकी रिपोर्ट फार्म के सुरक्षा अधिकारी का देगें।

40. यदि ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो एक सप्ताह का नोटिस देकर उसका ठेका निरस्त कर सुरक्षा कार्य भी अन्य व्यक्ति से कराया जा सकता है और उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है।

41. ठेकेदार का फार्म प्रबन्धक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–2 पर जारी आदेशो के अनुसार कार्य करना होगा।

42. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी नियम व शर्तो का उल्लंधन करने की स्थिति में ठेका फार्म प्रबन्धक द्वारा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

43. सुरक्षा ठेकेदार को जरूरत के हिसाब से सुरक्षा कार्य करते वक्त घोडे, मोटर साईकिल एवं टैक्टर, जीप आदि रखेगा।

44. आर्बिट्रेशनः–

पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में, पक्षकार यह तय करते हैं कि अपने उत्तम प्रयत्नों द्वारा सभी विवादों को तत्पर न्यायसंगत व सदभाव से सुलझायेंगें। पक्षकारो द्वारा ऐसा ना होने पर ऐसा विवाद अंतिम रूप से आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाया जायेगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवही अग्रेजी भाषा में तथा आबिट्रेशन का स्थान नई दिल्ली होगा।

45 विवादों का समझोताः–

सभी विवाद/ मतभेद जो कि पक्षकारों के मध्य इस अनुबन्ध के किसी नियम में किसी पक्षकार के अधिकार, कर्त्तव्य व जिम्मेदारी की व्याख्या एकमात्र आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णित की जायेगी जो कि सी.एम.डी. नेशनल सीड कारपोरेशन लि0, द्वारा नामित होगा। तथा आबिट्रेशन व कन्सिलिऐशन एक्ट 1996 या अन्य वैधानिक नियम जो कि उस समय लागू होगे के तहत किया जायेगा।

46. न्याायअधिकारः–

पक्षकार इसके द्वारा अपरिवर्तनीय सहमति देते है कि दिल्ली़ न्याय क्षैत्र को ही एक मात्र न्याय अधिकार होगा। जबभि कोई कार्य या कार्यवाही इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में उदित होगी। इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई संशोधन या परिवर्तन मान्य नहीं होगा यदि वह लिखित में व दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगा।

घोषणाः–

मैने फार्म में सुरक्षा ठेके की निविदा की नियम व शर्ते पढ़ ली है। उक्त सभी शर्ते मुझे मान्य है हस्ताक्षर मैने अपनी रजामन्दी से बिना किसी दबाब के पूर्ण होशहवास मे किये है। मेरे द्वारा सभी शर्ते

स्वीकार की गई है तथा यह शर्ते केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढं के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक......................................

स्थान..

सुरक्षा अधिकारी

केन्द्रीय राज्य फार्म , सूरतगढ़ (राज0) फार्म की फसलों व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु

दिनाँक 01.03.2016 से 28.02.2017 तक ठेके पर देने बाबत (तकनीकी निविदा प्रपत्र)

क्र0 सं0	दिनाँक	पार्टी का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र	आयकर वेलेड पैन कार्ड	सर्विस टैक्स पंजीकरण	लेबर लाईसेंन्स	सिक्यूरेटी लाईसेन्स(DGP)	नोटेरी से हल्पनामा चरित्र सम्बनधित	EPF	ESI

निविदादाता के हस्ताक्षर

.नाम...

पता...

मो0 न0 ....